सूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 53/2012

शिव राम

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
30.04.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के आदेश ज्ञापांक 1914, दिनांक 14.06.2012 के विरूद्व दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 02.06.2012 को पूर्वाहन 12:25 बजे शिव राम, ज0वि0प्र0वि,अनु सं0–05/2007, पंचायत–धर्मपुर जाफर, प्रखंड–अमनौर की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय गठित जांच दल (प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पानापुर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मढौरा एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, तरैया) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई– (1) दुकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नही था। (2) जांच के समय विक्रेता द्वारा कैस–मेमो नहीं दिखाया गया, तथा विक्रेता द्वारा बताया गया कि कैश–मेमों काटना अभी आरंभ नहीं किया गया। (3) विक्रेता के दुकान से संबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा यह भी बयान दिया कि अधिक पैसा लेकर कम मात्रा में खाद्यान्न एवं किरासन तेल की आपूर्ति की जाती है। उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 1130, दिनांक 03.06.2012 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति	

को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि दिनांक 02.06.2012 को सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रर्दशन पट्ट विक्रेता के द्वारा समुचित रूप से संधारित किया गया था, लेकिन धुप के कारण दिन में लगभग 11:00 बजे उसे उठाकर अंदर रख दिया गया था। विक्रेता के द्वार कैश-मैमो छपने के लिए दिया गया था। प्रेस में लगन की भीड़ होने की वजह से कैश-मैमो छपकर वापस नही प्राप्त हो पाया था। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण नियमित रूप से किया जाता है। इनकी दूकान का सभी कागजात अद्यतन है, जिसकी प्रति अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया था, जिसका सम्यक परिसीलन किए बिना अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा कारण पृच्छा में शिकायत करने वाले किसी उपभोक्ता का नाम अंकित नही किया गया है, और न ही बयान की प्रति ही उपलब्ध कराई गई है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमतता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कारण पृच्छा एवं प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 1914, दिनांक 14.06.2012) में कई त्रुटियॉ नजर आ रही है। अभिलेख में कुल 5 उपभोक्ताओं का विक्रेता के विरूद्ध बयान अंकित है, लेकिन उसकी प्रति विक्रेता को उपलब्ध नही कराई गई, और न ही उनका नाम एवं उनके द्वारा लगाए गए आरोपो का उल्लेख कारण पृच्छा में ही किया गया। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि विक्रेता को उपभोक्ताओ से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध कराकर उनसे कारण पृच्छा किया जाता एवं प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता से पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओ पर कारण

पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निंष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 288 /न्यायालय, दिनांक 02/05/2015

प्रतिलिपि– SDO, मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन० आई० सी०, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण